कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

ऑनलाईन काउंसलिंग प्रक्रिया
सत्र : 2020–21

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, दिनांक 07 जून 2010 में उल्लेखित नियम–7(2) के अधीन प्राप्त शक्तियों के अनुपालन में काउंसलिंग हेतु वर्ष 2020–21 के लिये काउंसलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

कोविड–19, कोरोना महामारी के चलते, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन एवं सोशल डिस्टेंसिंग की सावधानियों को द्दष्टिगत, सत्र 2020–21 के लिये आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग के लिए निर्देशः–

काउंसलिंग प्रक्रिया हेतु प्रमुख स्टेप

- निःशुल्क पंजीयन (Free Registration)
- सत्यापन (Verification):- पंजीयन के दौरान दस्तावेजों का ऑनलाईन ई–सत्यापन अथवा पंजीयन के समय अपलोड किये गये दस्तावेजों से पंजीयन में दिये गये विवरण का सत्यापन। (अभ्यर्थी को सहायता केन्द्र पर नहीं जाना हैं)
- प्राथमिकताक्रम का चयन तथा शिक्षण शुल्क का आंशिक भुगतान। (Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)
- आवंटन (Allotment)
- आवंटित संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश। (Reporting, verification of original documents and admission in alloted Institute)

काउंसलिंग में सम्मिलित होने के माध्यम
▪ इंटरनेट द्वारा कम्प्यूटर/एन्ड्रायड फोन के माध्यम से कहीं से भी।
काउंसलिंग हेतु भुगतान करने के माध्यम
▪ इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड।
▪ एमपीऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर नगद भुगतान।

पंजीयन (Registration)

- समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये निःशुल्क ऑनलाईन पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी, प्रवेश परीक्षा/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर केवल एक बार पंजीयन करवाकर काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकता है।
- अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय उपलब्ध कराये गये अर्हकारी परीक्षा के रोल नंबर के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश/सी.बी.एस.सी. के परीक्षा परिणाम का सत्यापन एवं म.प्र. लोकसेवा अभिकरण **(M.P. e-district)** से जाति/मूलनिवासी प्रमाण–पत्रों का ऑनलाईन ई–सत्यापन **(Online e-verification)** किया जावेगा। यदि अभ्यर्थी की संपूर्ण जानकारी ई–वेरिफाइड हो जाती है तो उन्हें पंजीयन के समय ''पंजीयन एवं ई–दस्तावेज'' सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को दस्तावेज अपलोड (Upload) करने की आवश्यकता नहीं है।
- अभ्यर्थी की समस्त जानकारी ऑनलाईन ई–सत्यापन न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन में दी गई जानकारियों के आधार को ही सही माना जायेगा। उन्हें केवल पंजीयन की पर्ची जारी की जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक दस्तावेज पंजीयन के समय अपलोड (Upload) करना होगा **(सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनजर सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना है)**
- काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीयन के समय अर्हकारी परीक्षा के अंको का विवरण, जन्म तिथि, लिंग एवं श्रेणी सावधानी पूर्वक भरें। अभ्यर्थी द्वारा दी गई इस जानकारी के आधार पर अर्हकारी परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के अकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाकर आवंटन जारी किया जाता है। अतः आवंटन पश्चात् सत्यापन की स्थिति में पंजीयन के समय भरी गई जानकारी में त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा एवं अभ्यर्थी को गलत जानकारी प्रदाय करने के कारण वैद्यानिक कार्यवाही का सामना भी करना पड़ सकता है।
- अभ्यर्थी को पंजीयन की कार्यवाही आरम्भ करने के पूर्व निम्नलिखित जानकारी अपने साथ रखना आवश्यक होगीः–
  - प्रवेश परीक्षा(जेईई(मेन)/पीपीटी/सी–मेट/ नाटा/गेट/जीपेट) की अंकसूची (यदि लागू हो).
  - हाई स्कूल(10वीं) परीक्षा की अंकसूची, अर्हकारी परीक्षा (यथा दसवीं/बारहवी/डिप्लोमा/स्नातक) की अंकसूची.
  - मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी संबंधी प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो).
  - किसी भी तरह का आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र (यथा SC/ST/OBC/S/FF/TS/HC/NCC/BPL/ClassIV/JK/EWS/) (यदि लागू हो).

SC= Schedule Cast	ST=Schedule tribe	OBC= Other Backward Cast (Non creamey layer only)	
S= Sanik	FF=Freedom Fighter	TS= Technical Streem	HC= Handicaped
NCC= Nationl Cradit Core	BPL=Below Powerty Line	ClassIV= Class IV employ of M.P. State Government	EWS= Economic Weeker Section
Income Certificate (it is necessary for OBC, if OBC certificate isued before April 2017 and TFW)			

- फोटोग्राफ (पंजीयन फार्म में निर्धारित साइज की सॉफ्ट कॉपी), अभ्यर्थी का मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आईडी, (काउंसलिंग संबंधित सूचनाओं एवं अस्थाई पासवर्ड प्राप्ति हेतु).

- पंजीयन प्रक्रिया उपरांत अस्थाई पासवर्ड प्राप्त होगा जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बदल लेवें एवं गोपनीय रखें। पासवर्ड काउंसलिंग के दौरान कभी भी बदला जा सकता है। पासवर्ड भूलने की स्थिति में वेबसाईट dte.mponline.gov.in पर फॉरगेट पासवर्ड (Forgot Password) लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते है।
- प्रवेश परीक्षा आधारित पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची बनाई जाकर आवंटन जारी किया जाता है।

दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification)

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें पंजीयन के समय केवल पंजीयन की पर्ची प्राप्त हुई है, उनके द्वारा पंजीयन के समय भरी गई जानकारी को, उनके द्वारा अपलोड किया गये दस्तावेजों से मिलान कर अधिकृत सहायता केन्द्रों पर सत्यापन करने के उपरान्त आवंटन के लिये पात्र या अपात्र (Eligible or Not Eligible) का निर्धारण किया जायेगा।
- पात्र या अपात्र (Eligible or Not Eligible) की सूचना पंजीयन में दिये गये मोबाइल पर एस.एम.एस. से एवं ईमेल पर भी दी जायेगी।
- पात्र अभ्यर्थी ही प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
- अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय भरी गई जानकारी को पंजीयन के समय अपलोड (Upload) किये गये दस्तावेजों से मिलान किया जावेगा। जिस आधार पर अभ्यर्थी को पात्रता जारी की जावेगी एवं पंजीयन के समय दिये गये मोबाइल नम्बर पर एसएमएस द्वारा जानकारी दी जावेगी।
- सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापन में निर्धरित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी संतुष्ट हैं तो वह प्राथमिकताक्रम चयन कर सकेंगे।
- सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धरित की गई पात्रता से यदि अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं, तब अभ्यर्थी पात्रता में सुधार हेतु संबंधित नवीन दस्तावेज अपलोड (Upload) कर, ऑनलाईन आवेदन (Subbmit) कर सकते हैं, इसके पश्चात ही नवीन, सत्यापित की गई पात्रता के आधार पर प्राथमिकताक्रम चयन कर सकते हैं।
- सत्यापन अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सत्यापित कर निर्धरित की गई पात्रता के पश्चात, यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग में इच्छित संस्थाओं/पाठ्यक्रम की प्राथमिकताक्रम का चयन नहीं करता है तो वह, आवंटन प्रक्रिया से बाहर हो जायेगा।
- अपात्र अभ्यर्थी प्राथमिकताक्रम का चयन नहीं कर सकेंगे।

प्राथमिकताक्रम का चयन तथा आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान
(Preference/Choice Filling and Part Payment of Tuition Fee)

- अभ्यर्थी द्वारा न्यूनतम 10 (जिन पाठ्यक्रमों में 10 से अधिक विकल्प उपलब्ध हैं, शेष पाठ्यक्रमों में कम–से–कम एक) अधिक से अधिक सभी उपलब्ध संस्थाओं/पाठ्यक्रम का प्राथमिकतानुसार ऑनलाईन चयन कर सकेंगे। अभ्यर्थी को अधिक से अधिक प्राथमिकता (Choice) भरने की सलाह दी जाती है।
- अभ्यर्थी को प्राथमिकताक्रम चयन को लॉक करने के लिये काउंसलिंग शुल्क एवं आंशिक शिक्षण शुल्क का भुगतान करना होगा।
- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पूर्व चयनित प्राथमिकताक्रम को कितनी भी बार बदल सकते है।
- प्राथमिकताक्रम (Choice) लॉक करने हेतु समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को, शुल्क का भगुतान करते समय एक One Time Password (OTP) पासवर्ड उनके द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी पर प्राप्त होगा जिसकी प्रविष्टि करने पर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होकर चयनित प्राथमिकताक्रम लॉक हो जावेगा तथा उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
- किभी भी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग की समय सारणी में प्राथमिकताक्रम लॉक करने की अन्तिम दिनांक के दो दिवस लॉक किये गये प्राथमिकताक्रम को सुधार सकते हैं। **(यदि प्राथमिकताक्रम को लॉक करने की अन्तिम दिनांक 10/09/2020 है, तो दिनांक 09/09/2020 से प्राथमिकताक्रम को सुधार सकते हैं।)**
- अभ्यर्थियों द्वारा च्वाइस लॉक करते समय भुगतान किये जाने वाले काउंसलिंग शुल्क एवं आंशिक शैक्षणिक शुल्क की राशि निम्नानुसार होगी–

पाठ्यक्रम	प्रथम बार
डिप्लोमा (एकलव्य एवं अम्बेडकर)	पोर्टल शुल्क ₹130/–
डिप्लोमा (पीपीटी/नॉन पीपीटी)	पोर्टल शुल्क ₹130/– एवं काउंसलिंग शुल्क ₹ 200/– कुल राशि ₹ 330/–
अन्य शेष पाठ्यक्रम	पोर्टल शुल्क ₹130/– काउंसलिंग शुल्क ₹ 400/–एवं आंशिक शैक्षणिक शुल्क ₹ 1,000/– कुल राशि ₹ 1,530/–

काउंसलिंग के आगामी चरणों में भाग लेने के लिये काउंसलिंग शुल्क से छूट रहेगी!

- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंनें काउंसलिंग के किसी पूर्ववर्ती चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण नही की है अथवा जिन्होनें संस्था में प्रवेश प्राप्त कर उसको निरस्त करवा लिया है, उन्हें काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित होने के लिये संस्थाओं की ऑनलाईन प्राथमिकता क्रम के चयन उपरांत लॉक की कार्यवाही

पुनः पूर्ण करना होगा। ऐसे समस्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राथमिकताक्रम का चयन (च्वाईस फिलिंग) लॉक करने के लिये निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

ऑनलाईन आवंटन (Online Allotment)

- पंजीयन के समय अभ्यर्थियों द्वारा दी जानकारियों के आधार पर मेरिट के अनुसार प्राथमिकताक्रम एवं प्रवेश नियमों के अनुसार आवंटन करने के उपरान्त, आवंटन पत्र जारी होगा।
- जिन पाठ्यक्रमों में अपग्रेडेशन का विकल्प उपलब्ध है तथा अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का नियमानुसार विकल्प ऑनलाईन प्रस्तुत करता है, तब उसे उच्च प्राथमिकता के लाभ का अवसर मिलेगा। अपग्रेडेशन के उपरांत नवीन आवंटन अनुसार संस्था/पाठ्यक्रम में निर्धारित तिथि के पूर्व प्रवेश प्राप्त करना होगा।
- अभ्यर्थी आवंटित संस्था में निर्धारित समय सारणी अनुसार प्रवेश अथवा अपग्रेडेशन का विकल्प प्रस्तुत नही करता है तो उसका आवंटन निरस्त माना जावेगा तथा अभ्यर्थी द्वारा जमा आंशिक शिक्षण शुल्क की राशि जप्त कर ली जावेगी एवं रिक्त सीट को काउंसलिंग के उत्तरोत्तर चरण में सम्मिलित किया जायेगा।

आवंटित संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश

(Reporting, verification of original documents and admission in alloted Institute)

- अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों का सत्यापन आवंटित संस्था में निर्धारित तिथियों में स्वयं उपस्थित होकर करवाना होगा।
- दस्तावेज सत्यापन होने के उपरान्त दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। पावती की जांच करलें कुछ त्रुटि पाये जाने पर तुरंत सत्यापन करने वाले अधिकारी को सुचित करें।
- पात्र अभ्यर्थियों (Eligbile candidate) को आवंटित संस्था में प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची प्राप्त करनी अनिवार्य हैं।
- अभ्यर्थी का प्रवेश अभ्यर्थी के पासवर्ड से लॉक होकर पूर्ण माना जायेगा एवं अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश की पर्ची जारी की जावेगी। पर्ची को सुक्षमता जांच लें त्रुटि पाये जाने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सुचित करें।
- दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में, अभ्यर्थी द्वारा पंजीयन के समय दी गई जानकारियों एवं दस्तावेजों में दी गई जानकारियों का मिलान किया जायेगा। सही पाये जाने पर दस्तावेज सत्यापन की पर्ची जारी की जावेगी। और अन्तर पाये जाने पर अभ्यर्थियों को Not Eligible की पर्ची प्राप्त होगी जिसमें सत्यापित नहीं होने के कारण का उल्लेख भी रहेगा।

- अपात्र अभ्यर्थी (Not Eligbile candidate) रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि के पूर्व अपने वैध दस्तावेजों के साथ आवंटित संस्था में पुनः उपस्थित होकर, दस्तावेजों का सत्यापन करवाकर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि कोई अभ्यर्थी गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण दस्तावेजों के सत्यापन के लिये स्वयं उपस्थित होने में असफल रहता है तथा वह चिकित्सालय में भर्ती है, तो उसके संरक्षक/अभिभावक को उसकी ओर से दस्तावेजों के सत्यापन कराने के लिये उपस्थित होने हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित अभ्यर्थी बीमारी तथा चिकित्सालय में भर्ती होने के सबूत के रूप में संबंधित सी.एम.ओ./सिविल सर्जन व्दारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण–पत्र के साथ इस आशय का प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करे। यदि बाद में यह पाया जाए कि अभ्यर्थी व्दारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई गई थी, तो अभ्यर्थी स्वयं ही प्रवेश रद्द किए जाने का उत्तरदायी होगा।
- अनुपस्थित/Not Eligbile अभ्यर्थी की सीटें रिक्त मानी जावेंगी तथा रिक्त स्थान अगले चरण की काउंसलिंग में सम्मिलित किया जावेगा।
- प्रवेश उपरांत संस्था के अधिकृत अधिकारी प्रवेशित अभ्यर्थियों के नाम को संस्था के जी2जी लॉगईन में उपलब्ध प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची से पुष्टि अवश्य कर लेवें।
- प्रवेशित अभ्यर्थी अपना प्रवेश संबंधी विवरण वेबसाइट पर **"चेक केंडिडेट स्टेटस"** (Check Candidate Status) लिंक से सुनिश्चित कर सकते है।
- **उम्मीदवारों को अपने मूल प्रमाण–पत्र प्रवेशित संस्था में किसी भी परिस्थिति में जमा नही करना होगा।**
- अभ्यर्थी को शासन/प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी तरह का शुल्क आवंटित संस्था को देय नहीं है। (शुल्क के विवरण हेतु वेबसाइट www.afrcmp.org देखें)
- दस्तावेजों के सत्यापन के समय ग्रेड आधारित अंकसूची जिसमें प्रतिशत प्राप्त करने हेतु कनवर्जन फार्मूला उपलब्ध न हो तो अभ्यर्थी को संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय का तत्संबंधी प्रमाण–पत्र लाना होगा।

द्वितीय चरण की काउंसलिंग (Second Phase Counselling)

- प्रवेश परीक्षा आधारित प्रथम चरण कांउसलिंग उपरान्त रिक्त सीटों हेतु द्वितीय चरण की कांउसलिंग आयोजित की जायेगी।
- ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं हो सके अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश नहीं ले सकें अथवा प्रथम चरण में जिन्हें आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है अथवा प्रथम चरण में आवंटन उपरांत संस्था में प्रवेश प्राप्त कर अपना प्रवेश निरस्त करवा लिया हो सम्मिलित हो सकेंगे।
- पूर्व के चरण के पंजीयन नम्बर से ही अभ्यर्थी काउंसलिंग के अगले चरणों में शामिल हो सकते हैं।

- यदि, पूर्व के चरण के पंजीयन में किसी प्रकार **त्रुटि है तो उसको सुधारने के पश्चात ही** पूर्व के चरण के पंजीयन नम्बर से अगले चरणों में शामिल हों **(ध्यान रहे, पुनः गलती होने पर, आवंटन पुनः निरस्त हो जायेगा)**।
- अभ्यर्थी काउंसलिंग के अगले चरणों में शामिल होने के लिये पुराने पंजीयन को, निरस्त करना चाहता है तो, वे काउसंलिंग की वेबसाईट पर **क्विक लिंक्स** में उपलब्ध **रजिस्ट्रशन निरस्त करें** लिंक से निरस्त करने पश्चात, नया पंजीयन करके भी शामिल हो सकते हैं।
- अभ्यर्थी जो प्रथम चरण आवंटन पश्चात अपात्र घोषित किये गये है। ऐसे सभी अभ्यर्थी पंजीयन में दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सुधार कर द्वितीय चरण की कांउसलिंग में शामिल हो सकेंगे।

आंतरिक ब्रांच परिवर्तन (Internal Branch Change)
केवल बी.ई.(फुल टाईम) पाठ्यक्रमों हेतु

केवल बी.ई.(फुल टाईम) में केन्द्रीयकृत द्वितीय चरण की काउंसलिंग के पश्चात् संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ही ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित समय सारणी अनुसार ऑनलाईन आवेदन कर ब्रांच के विकल्प प्रस्तुत करने होंगे। ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में उनकी पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में ही उसका प्रवेश मान्य होगा।

प्रवेश निरस्तीकरण (Admission Cancellation)

- किसी भी चरण की काउंसलिंग में प्रवेश ले चुके अभ्यर्थी यदि अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते हैं तो उन्हें निरस्तीकरण की कार्यवाही पाठ्यक्रमवार घोषित तिथियों में अपनी प्रवेशित संस्था से करवाना होगा। संस्था द्वारा प्रवेश निरस्तीकरण न किये जाने की दशा में काउंसलिंग अवधि में अभ्यर्थी काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों के साथ निकटतम सहायता केन्द्र पर उपस्थित होकर अपना प्रवेश निरस्त करवा सकते है।
- यदि किसी प्रकरण पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने किसी संस्था में, मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है या यदि प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया जाए कि अभ्यर्थी को किसी भूल या अनदेखी के कारण प्रवेश दिया गया था, तो ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन के दौरान किसी भी समय किसी पूर्व सूचना के बिना संस्था के प्राचार्य या सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्काल रद्द किए जाने के दायित्वाधीन होगा।
- **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के 7 दिवस पूर्व प्रवेश निरस्त कराने पर अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि में से 10 प्रतिशत की कटौती कर, शेष राशि वापिस कर दी जायेगी** तदापि

परामर्श (काउंसलिंग) फीस वापसी योग्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात् अपना प्रवेश निरस्त कराया जाता है तो उसके द्वारा संस्था में जमा की गई शैक्षणिक शुल्क की राशि भी वापसी योग्य नहीं होगी।

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश रद्द करने संबंधी कार्यवाही केवल प्रवेशित संस्था द्वारा ही की जावेगी तथा प्रवेशित संस्था से संस्था छोड़ने के लिये स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (TC) प्राप्त करना होगा।

विशेष सीटों पर प्रवेश की जानकारी

- **शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश**
- **आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये (EWS) के अंतर्गत प्रवेश**
- **अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश**
- **संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश**
- **विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई. डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश**

शिक्षण शुल्क छूट योजना (TFW) के अंतर्गत प्रवेश

बी.ई.(फुल टाईम)/पीपीटी, नॉनपीपीटी (डिप्लोमा)/एम.बी.ए.(फुल टाईम)/एम.सी.ए. पाठ्यक्रमों हेतु

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त की है एवं विगत वर्ष में प्रवेश क्षमता के 30 प्रतिशत तक स्थानों पर प्रवेश हुए है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत अधिसंख्य सीटें शिक्षण शुल्क छूट योजना में उपलब्ध रहेंगी।

- शिक्षण शुल्क छूट योजनांतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क की सम्पूर्ण छूट दी जावेगी। शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य समस्त शुल्क अभ्यर्थियों द्वारा वहन किए जाएंगे।

- यह योजना मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये है जिनके परिवार की समस्त स्त्रोतो से वार्षिक आय ₹ 8.0 लाख रूपये से अधिक नही हो।

आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये (EWS) के अंतर्गत प्रवेश

बी.ई.(फुल टाईम)/एम.बी.ए.(फुल टाईम)/एम.सी.ए./एम.टेक.–एम.ई.(पूर्णकालिक)/एम. फार्मेसी/एकीकृत एम.बी.ए/एकीकृत एम.सी.ए./बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टैक्नालॉजी/बी एवं डी फार्मेसी/डिप्लोमा पीपीटी माध्यम/डिप्लोमा नॉनपीपीटी पाठ्यक्रम हेतु पाठ्यक्रमों हेतु

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त की है उन संस्थानों में 10 प्रतिशत सीटें आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग के लिये **(EWS)** योजना में उपलब्ध रहेंगी।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली की इस योजना के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति/शासन द्वारा संबंधित संस्थानों के लिये निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा।

अनिवासी भारतीय (NRI) सीटों पर प्रवेश

- जिन संस्थानों ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली से इस योजना की अनुमति प्राप्त की है, उन संस्थानों में 5 प्रतिशत सीटें उपलब्ध रहेंगी।
- मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित **''प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011''{Admission (Reservation to Non-Resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011}** के आधार पर स्वीकृत पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (स्वयं, माता या पिता अनिवासी भारतीय हों) से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित कर निर्धारित तिथि को केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश दिये जावेंगे।
- इन सीटों पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क देय होगा।
- अनिवासी भारतीय सीटों की काउंसलिंग पृथक से की जावेगी इस हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिये अधिकृत पोर्टल पर **पृथक से पंजीयन (पंजीयन शुल्क रु 5100/–(पोर्टल चार्जेस ₹100/–सहित देय होगा जोकि अप्रतिदेय (Non Refundable) है) कराकर** पूर्व निर्धारित तिथि एवं स्थान को उपस्थित होकर प्रवेश संबंधी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी।
- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय–सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।

संस्थागत प्राथमिकता (IPS) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

केवल बी.ई./बी. एवं डी.फार्मेसी/बी.आर्किटेक्चर पाठ्यक्रमों के लिये

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग केवल उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ निर्धारित तिथि तक आवेदन किया है।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थान उपलब्ध होगे।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों की काउंसलिंग में उम्मीदवारों का प्रवेश संस्था स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा।
- इन सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची एवं उनके द्वारा इन सीटों पर प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संस्था द्वारा जारी विज्ञापन तथा काउंसलिंग वेबसाईट पर उपलब्ध तिथि को, अधिकृत पोर्टल पर पृथक से **पंजीयन (पंजीयन शुल्क रु 2500/–(पोर्टल चार्जेस ₹30/–सहित देय होगा जोकि अप्रतिदेय (Non Refundable) है)** कराकर, इच्छित संस्था में अपने मूल दस्तावेजों के साथ ऑनलाईन पंजीयन के साथ प्रवेश हेतु उपस्थित होना होगा।
- सर्वप्रथम प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की मेरिट तत्पश्चात् सीटें रिक्त रहने की दशा में अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।
- बी.आर्क. में नाटा–2020 तथा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का 50–50 प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा एवं सीटें रिक्त रहने पर जेईई(मेन)–2020 पेपर–2 तथा अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों का 50–50 प्रतिशत अंकों की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
- संस्था अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेज किसी भी परिस्थिति में अपने पास न रखें।
- इन सीटों को **''केन्द्रीयकृत काउंसलिंग के चरण''** पूर्ण होने के उपरांत भरने की अनुमति होगी।
- यदि संबंधित संस्था इन स्थानों पर प्रवेश नहीं कर पाती है अथवा इन सीटों पर आंशिक रूप से प्रवेश करती है, तो ये सीटें रिक्त रहेंगी एवं इन्हें परामर्श (काउंसलिंग) के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
- इस प्रवर्ग के अंतर्गत प्रवेशित अभ्यर्थी को सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में अपनी ब्रांच या संस्था परिवर्तन का अधिकार नहीं होगा।
- विस्तृत प्रवेश प्रक्रिया एवं समय–सारणी तत्समय वेबसाइट पर जारी की जावेगी।
- किसी संस्था अथवा अभ्यर्थी द्वारा मिथ्या या गलत जानकारी के आधार पर या सुसंगत तथ्यों को छिपाकर प्रवेश प्राप्त किया है अथवा दिया गया है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा समस्त ऐसे प्रवेश निरस्त किये जायेंगे तथा ये स्थान रिक्त रहेंगे।

विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/ खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय मूल के नागरिकों के बालकों (सी.आई.डब्ल्यू.जी.सी.) सीटों के अंतर्गत प्रवेश

- ऐसी संस्थायें जिन्हें एआईसीटीई के अनुमोदन में विदेशी नागरिकों/भारतीय मूल के नागरिकों (पी.आई.ओ.)/सीआईडब्ल्यूजीसी के अभ्यर्थियों की सीटों के लिये भी अनुमोदन प्रदान किया जाता है तब ऐसी संस्थाओं को स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 15 प्रतिशत (अधिसंख्य) स्थान पर प्रवेश देने की पात्रता होगी। ऐसे स्थान सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित प्रक्रियानुसार भरे जा सकेगें।
- संबंधित संस्था के लिये यह अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थियों की वास्तविकताओं तथा उनके अभिलेखों को सुनिश्चित करें तथा उन्हे सक्षम प्राधिकारी, शासन, एआईसीटीई को कोई जानकारी या वांछित प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराएं।
- प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को संबधित दूतावास से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि वह भारत में अध्ययन कर सकता है। नेपाल के अभ्यर्थियों को प्रमाणीकृत निवास प्रमाण पत्र (Passport or Citizion ship card) भारतीय दूतावास काठमांडु, नेपाल या नेपाली दूतावास, नई दिल्ली से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
- सभी चयनित विदेशी नागरिक अभ्यर्थियों को विदेशों में भारतीय मिशन (Indian Missions Abroad) से वैद्य विद्यार्थी वीजा, प्राप्त करना अनिर्वाय होगा।

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति,
आयुक्त, तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

Frequently Asked Questions by Candidates

Web portal - Dte.mponline.gov.in

Q :1 a. From where I can apply for Registration to participate in the counselling

b. Can I apply in two or more courses?

Ans: a. you have to apply form dte.mponline.gov.in.

b. Yes, you can registered yourself in multiple courses by dte.mponline.gov.in

Q :2 In which case I need to use Registration cancellation link.

Ans:

- Please check your eligibility and proceed for choice filling and if not satisfied then use **Registration cancellation link** (hyper link).
- If **NOT ELIGIBLE** use **Registration cancellation link** (hyper link for re-enter the information.
- Only e-verified candidates are not required verification from Help-center can proceed for choice filling within the time schedule provided by the department.

Q :3 How to cancel registration after choice filling.

Ans: You have to go to the Help Center for registration cancellation after choice filling.

Q :4 How can I edit my choices?

Ans. Choice filling editing facility is available till you lock your choice filling.

Q :5 No college allotted want to upgrade.

Ans. Not allotted candidate auto participate in upgradation round.

Q :6 My board name or university name not showing in the drop down list.

Ans. Contact to the department for the same through email.

Q :7 OTP is not received for choice filling.

Ans. Kindly resend the OTP or check your mail OTP also sent on mail.

Q :8 Not have original mark sheet.

Ans. At the time of admission you have to produce original mark sheet.

Q :9 Want to edit personal details in entrance exam base counselling.

Ans. No changes are possible in entrance exam data.

Q :10 want to edit registered mobile and email id.

Ans. Go to nearest help center for such kind of correction.

DTE COUNSELLING-2020

Q :11 How I cancel my admission.

Ans. Admission cancellation facility is available at admitted institute and also any nearest help center.

Q :12 In mark sheet my marks are in grade system, how can I enter in marks system.

Ans. Kindly use conversion formula which is provided by your board.

Q :13 What is the procedure of document verification. Where I need to go?

Ans. No need to visit help center for verification, your document is verified online by Help center on the basis of details and documents uploaded by you at the time of registration.

Q :14 Which institute is allotted to me.

Ans. Kindly download your allotment letter, in which you can check your allotted institute.

Q :15 Temperary password not received on my mobile number.

Ans. Kindly use Resend temporary password link available at dte.mponline.gov.in.

Q :16 I have forgot my counselling password.

Ans. Kindly use forgot password link available at portal.

Q :17 Which documents, have to produce at the time of admission.

Ans. As per the rule book and also mentioned in allotment letter.

Q :18 Which documents i have to submit in allotted institute.

Ans. You have to submit Only TC and Migration certificate, do not submit other original documents to the institute.

Q :19 What is the allotted institute tuition fee?

Ans Kindly visit AFRC web portal for the same.

Q :20 At the time of admission, through which mode I have to submit my tution fee.

Ans. Kindly contact to your allotted institute for further assistance.

Candidates Registration is first the process to participate in the Counselling

Candidates enter the following details for registration process

- Entrance exam Details (are Pre-filled)
- Student Personal Details
- Category/Class and Certificate Details
- Details of Qualifying Examination
- Bank account Details
- Bank Loan Details

Preview and if satisfied then Lock Registration Details and Upload Documents

DTE COUNSELLING-2020

These Are the Utility for Candidates

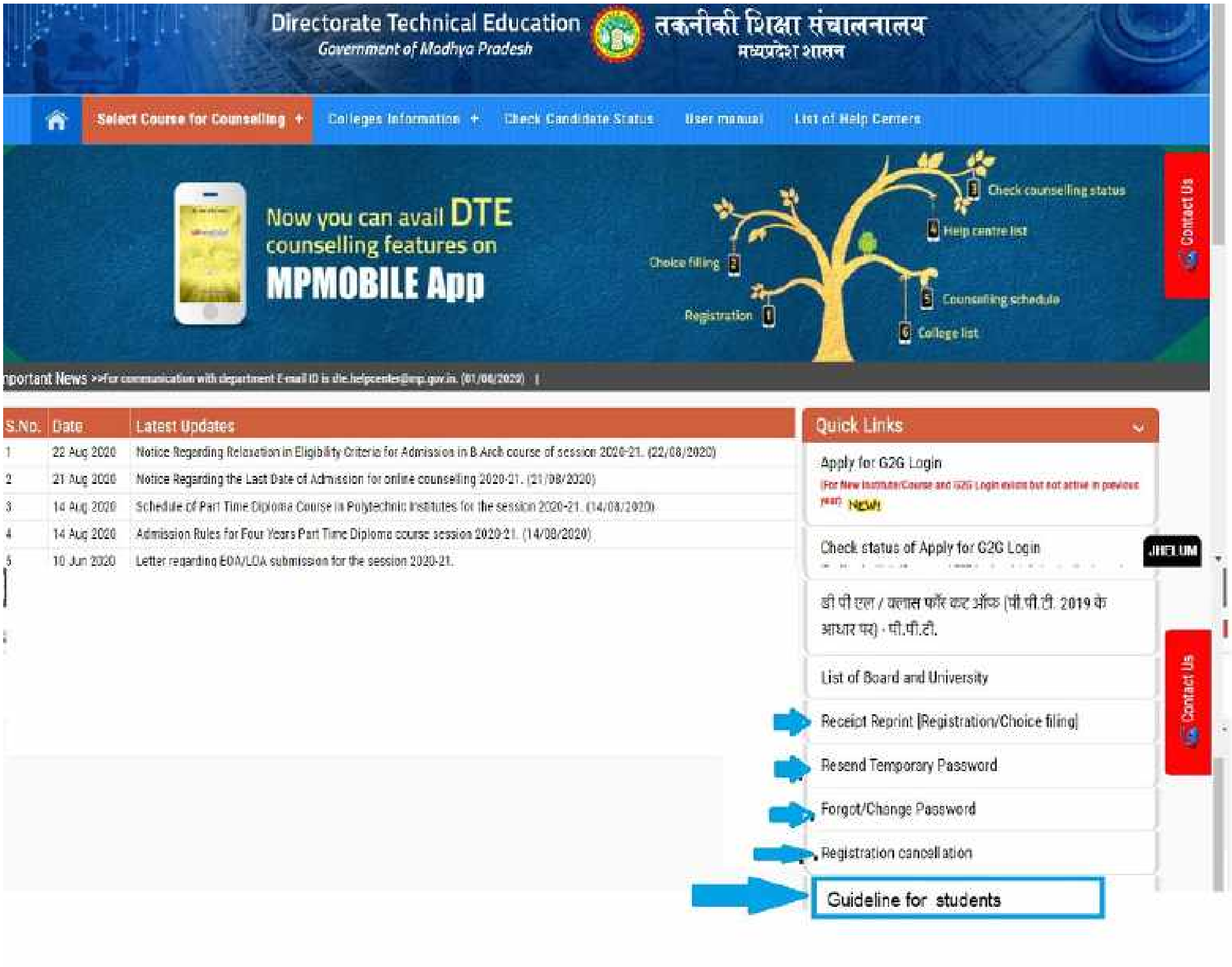

DTE CC